न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

...ासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस.

...द संख्या :– 100/दावा/2015

बूटासिंह आयु बालिग आ0 नाहर सिंह जी जाति सिख निवासी ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) – वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0) – प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट
वाद बाबत् अधिकार घोषणा

उपस्थित :–
1. श्री धीरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता, वादी।
2. राज्य की और से पैरोकार सरकार।

दिनांक :–07.01.2019

–:: निर्णय ::–

1. वादी की ओर यह वाद पत्र अधिकार घोषणा का दिनांक 15.12.2015 को प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 22 पुराना 15 की खसरा सं. 120 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं. 122 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, खसरा सं. 123 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं. 2234/124 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है। उपरोक्त भूमि पर वादी अपने ताउ श्री अमरसिंह जी के जीवनकाल से ही काबिज हो काश्त करता आ रहा था, अमरसिंह जी के कोई संतान न होने से वादी ही उनके पास रहता था तथा सेवा सुषमा करता था। वादी के ताउ अमरसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 10.08.1992 को जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत उक्त भूमि वादी के नाम हस्तान्तरित कर दी थी तथा दिनांक 29.12.1992 को उनका स्वर्गवास हो गया तथा पुत्र की हैसियत से वादी ने समस्त क्रिया कर्म आदि किये। उनकी मृत्यु के पश्चात अजमेर कौर उर्फ जीतो पत्नि हरभजन सिंह ने उनकी उक्त जमीन हडपने के लिये मिथ्या तथ्यों पर एक वाद न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय बून्दी में किया था, जो दिनांक 14.12.2004 को खारिज हो गया, जिसकी अपील राजस्व मण्डल अजमेर तक हुई परन्तु दिनांक 10.05.2015 को उक्त अजमेर कौर भी लाऔलाद ही फौत हो गई। अजमेर कौर द्वारा वाद किये जाने से उक्त आराजी वादी के नाम खाते दर्ज नही की जा सकी, वादी ने उसकी मृत्यु के उपरांत भी प्रतिवादी तथा उनके अधिनस्थ कर्मचारियों को लिखकर दिया था, राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज करने को कहा परन्तु प्रतिवादी नानुकर करते रहे। दिनांक 18.09.2015 को वादी ने अपने अभिभाषक से एक रजिस्टर्ड नोटिस भी भिजवाया परन्तु उस पर भी प्रतिवादी द्वारा

Scanned by CamScanner

कोई जवाब नही दिया न ही कोई कार्य किया। यही वाद कारण है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे।

3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

4. दिनांक 13.08.2018 को न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई–
   1. आया वादी वाद वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। ––वादी
   2. अनुतोष?

5. वादीगण की ओर से साक्ष्य में बूटा सिंह का शपथ पत्र पेश किया तथा निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये जिनमें सरकार को दिया गया लीगल नोटिस प्रदर्श–1, रसीद प्रदर्श–2, प्राप्ति रसीद प्रदर्श–3, जमाबन्दी प्रदर्श–4, वसीयतनामा की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–5 है।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वाद पत्र की प्रार्थना में चाही गई रिलीफ वादीगण को प्रदान किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादपत्र का निर्णय विवाधकों के विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार किया जा रहा है–

विवाधक सं. 1– उक्त विवाधक को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त विवाधक को साबित किये जाने के क्रम में न्यायालय के समक्ष स्वयं को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में खातेदार अमरसिंह का वसीयतनामा प्रदर्श 4 व अमरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 पेश किया। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से साबित होता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार अमरसिंह है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके द्वारा वसीयत के माध्यम से वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि का स्वामी बनाया है। यहां पर विचारणीय बिन्दू यह है कि वसीयत के माध्यम से खातेदारी अधिकार हस्तांतरण किये जा सकते है या नही? इस सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 41 का अवलोकन किया गया जिसमें वर्णित किया गया है कि एक खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी अधिकार विक्रय पत्र, दानपत्र एवं वसीयत के माध्यम से हस्तांतरण कर सकता है। उपरोक्त विधि के विवेचन के अनुसार यह सिद्ध होता है कि वादी वसीयत के आधार पर वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है। क्योकि वसीयत कर्ता की मृत्यु भी हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार यह विवाधक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष ? – विवाधक सं. 1 वादी के पक्ष में तय किया गया है इसलिए वादी वाद वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–:: निर्णय ::–

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. नया 22 पुराना 15 की खसरा सं. 120 रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा, खसरा सं. 122 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा,

Scanned by CamScanner

खसरा सं. 123 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा, खसरा सं. 2234/124 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 37 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी पर वादी को खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

7/1/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned by CamScanner